Page: 1 to 4

DATE: 14/10/2020

CLASS: B.A(H) PART-2ND

SUBJECT: POL. SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 10 (GOVERNOR)

LECTURE NO.- 10

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका —

भारतीय संविधान के द्वारा राज्यपाल को दोहरी भूमिका प्रदान की गई है — (i) राज्य के प्रधान के रूप में एवं (ii) संघीय सरकार के प्रतिनिधि या अभिकर्ता के रूप में।

केन्द्र और राज्य में सद्भावनापूर्ण सम्बंध स्थापित करने और प्रशासनिक सुदृढ़ता तथा एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में 'सहयोगी संघवाद' की स्थापना पर बल दिया गया है। इस संघवाद के लक्ष्य के पूर्ति के साधन के रूप में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। इसी आशय में के०एम० मुन्शी का कथन है कि "राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केन्द्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है।"

भारतीय संविधान के द्वारा विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से राज्यपाल को सौंपे गए कार्यों से केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका और

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

स्पष्ट हो जाती है, ये कार्य इस प्रकार हैं—

(i) केन्द्रीय शासन राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केन्द्रीय शासन के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों तथा संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जा सकता है और अनु० 258 के तहत केन्द्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश - आदेश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं। राज्यपाल का कर्तव्य है कि राज्य सरकारें इन निर्देशों का पालन कर रही है अथवा नहीं, इस पर ध्यान देना। यदि राज्य सरकार के द्वारा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो, तो राज्यपाल राज्य सरकार को चेतावनी दे सकता है और संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर राष्ट्रपति शासन (अनु० 356) लगाने का सिफारिश केन्द्र सरकार से कर सकता है।

(ii) जब कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह दायित्व आ जाता है कि वह यह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है अथवा नहीं।

(iii) राज्य के सम्बंध में समय-समय पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना भी केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं, यह भी देखना राज्यपाल का ही कार्य है। यदि नहीं, तो वह प्रतिवेदन भेजकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंपता राज्यपाल उन सबको पूरा करता है और केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है।

(iv) अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।

(v) अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, किन्तु उसे कुछ विषयों के सम्बंध में अध्यादेश जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है।

उपर्युक्त के अलावा राज्यपाल का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रान्तीयतावाद को तो न अपना रहा और संघीय हितों की अवहेलना कर रहा हो। इस सन्दर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 19-20 मार्च, 1976

classmate
Date
Page

के राज्यपाल सम्मेलन में कहा था: "संकीर्ण प्रान्तीयतावाद पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।"

वर्णित राज्यपाल के कार्यों के अतिरिक्त राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया है वह भी इस बात को स्पष्ट करती है कि राज्यपाल की राज्य में केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है।

Scanned with CamScanner